अखबारी कागज के लिए आवेदन करने हेतु अंतिम तारीख

2185. **श्रीमति वीणा वर्मा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष अखबारी कागज के आवंटन हेतु आवेदन करने के लिए अन्तिम तारीख क्या थी और इस सम्बन्ध में कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारीगिरिजा व्यास) : वर्ष 1991-92 के लिए अखबारी कागज आवंटन नीति की घोषणा दिनांक 4-10-91 को की गई थी और भारत के समाचार पत्रों के कार्यालय में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख 15-11-91 थी । दिनांक 15-11-91 तक कुल 2,654 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे जिनमें नीति की घोषणा से पूर्व प्राप्त आवेदन भी शामिल हैं ।

समाचारपत्रों के पंजीयक से शीर्षक की मंजूरी मिलने में विलम्ब

2186. **श्री मोहम्मद अफजल उर्फ अफजल** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेकि :

(क) क्या यह सच है कि समाचार-पत्रों के पंजीयक से प्रकाशनों के शीर्षकों की मंजूरी में 6-6 महीने और कभी-कभी एक साल का समय लग जाता है और कई मामलों में आवेदनों का प्रत्युत्तर तक नहीं दिया जाता है :

(ख) सरकार इस परेशानी को दूर करने के लिए क्या उपाय कर रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) शीर्षकों की मंजूरी समय साध्य कार्य है । भारत के समाचार पत्रों का पंजीयक इस विषय पर तभी कार्रवाई कर सकता है यदि शीर्षक सत्यापन हेतु आवेदन संबंधित जिला मैजिस्ट्रेट के माध्यम से प्राप्त होता है । प्रैस और पुस्तक रजिस्ट्रेशन नियम 1867 के अंतर्गत आवेदकों द्वारा अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी करने और शीर्षक उपलब्ध होने पर ही शीर्षकों का सत्यापन किया जाता है ।

डी०ए०वी०पी० में उर्दू जानने वाले व्यक्ति

2187. **श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मो म अफजल** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डी०ए०वी०पी०, नई दिल्ली में उर्दू जानने वाले कितने व्यक्ति कार्य कर रहे हैं; और

(ख) ऐसे रिक्त पदों की संख्या कितनी है जिनके लिए उर्दू का ज्ञान होना आवश्यक है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) नई दिल्ली स्थित विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय के कार्यालय में कार्यरत 27 व्यक्तियों को उर्दू का ज्ञान है ।

(ख) कोई नहीं ।

उर्दू जानने वाले व्यक्तियों के लिए रिक्त पद

2188. **श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मोम अफजल** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समाचार-पत्र के पंजीयक के नई दिल्ली स्थित कार्यालय में उर्दू जानने वाले कितने व्यक्ति कार्य कर रहे हैं ; और

(ख) उर्दू जानने वाल व्यक्तियों के लिए कितने पद रिक्त हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास): (क) पांच ।

(ख) ऐसा कोई पद नहीं है जिसके लिए उर्दू का ज्ञान विशेष रूप से अपेक्षित हो ।

आकाशवाणी/दूरदर्शन से विज्ञापन के प्रसारण के लिए नियम और विनियम

2189. **श्री अजीत जोगी** :
श्री बेकल "उत्साही" :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से विभिन्न कम्पनियों के विज्ञापनों के प्रसारण के सम्बन्ध में कोई नियम और

विनियम हैं और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या सरकार ऐसे विज्ञापनों पर प्रतिबन्ध लगाने का विचार रखती है जिनसे बच्चों पर बुरा असर पड़ने की सम्भावना हो ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) जी, हां । दूरदर्शन और आकाशवाणी को अपनी-अपनी विज्ञापन संहिताएं हैं । बच्चों से संबंधित अंश संलग्न विवरण में दिए गए हैं (नीचे देखिये) जिनमें ऐसे विज्ञापनों के विषय में कार्रवाई करने के लिए सुरक्षात्मक उपाय बताए गए हैं ।

विवरण

आकाशवाणी संहिता

विज्ञापन और बच्चे

18. किसी उत्पाद या सेवा के लिए ऐसा कोई विज्ञापन स्वीकार नहीं किया जाएगा जिसमें किसी भी रूप में यह जताया गया हो कि यदि बच्चे उस उत्पाद या सेवाओं को स्वयं नहीं खरीदेंगे या दूसरे व्यक्तियों को उसे खरीदने के लिए प्रोत्साहित नही करेंगे तो वे अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे होंगे या किसी विशेष व्यक्ति या संगठन के प्रति निष्ठावान नहीं होंगे ।

19. ऐसा कोई विज्ञापन स्वीकार नहीं किया जाएगा जिससे बच्चों के मन में यह विश्वास पैदा हो कि यदि वे विज्ञापन किए गए उत्पाद को खरीदेंगे नहीं या इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वे किसी भी रूप में अन्य बच्चों के मुकाबले निष्कृष्ट हो जायेंगे या उत्पाद के उनके पास न होने से या उनके द्वारा इस्तेमाल न किए जाने से उनकी निन्दा की जा सकती है या उनकी हंसी उडायी जा सकती है ।

दूरदर्शन संहिता

विज्ञापन और बच्चे

22. किसी उत्पाद या सेवा के लिए ऐसा कोई विज्ञापन स्वीकार नहीं किया जाएगा जिसमें किसी भी रूप में यह जताया गया हो कि यदि बच्चे उस उत्पाद या सेवाओं को स्वयं नहीं खरीदेंगे या दूसरे व्यक्तियों को उसे खरीदने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेंगे तो वे अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे होंगे या किसी विशेष व्यक्ति या संगठन के प्रति निष्ठावान नहीं होंगे ।

23. ऐसा कोई विज्ञापन स्वीकार नहीं किया जाएगा जिससे बच्चों के मन में यह विश्वास पैदा हो कि यदि वे विज्ञापन किए गए उत्पाद को खरीदेंगे नहीं या इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वे किसी भी रूप में में अन्य बच्चों के मुकाबले निकृष्ट हो जाएंगे या उत्पाद के उनके पास न होने से या उनके द्वारा इस्तेमाल न किए जाने से उनकी निन्दा की जा सकती है या उनकी हंसी उडायी जा सकती है ।

24. ऐसा कोई विज्ञापन स्वीकार नहीं किया जाएगा जो बच्चों की सुरक्षा को खतरे में डालता हो या उनमें अस्वस्थ आदतों में कोई रूचि जगाता हो जैसे सडक के बीच में खेलना, खिडकी के बाहर खतरनाक तरीके से झुकना, माचिस और अन्य ऐसे पदार्थों से खेलना जिनसे दुर्घटना हो सकती हो ।

25. बच्चों को भीख मांगते हुए या अशोभनीय मुद्रा में नहीं दिखाया जाएगा ।

गुजरात में आकाशवाणी और दूरदर्शन की योजनाएं

2190. श्री राम सिंह राठवा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

(क) गुजरात में आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंध में सातवीं पंच-वर्षीय योजना में शामिल की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है और उनके लिए आवंटित निधियों का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) उनका क्षेत्र-वार विवरण, लागत और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है ?